तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/12/2021	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी व रेस्पोंडेण्टस वकील उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके संलग्न दस्तावेज, रेस्पोंडेण्टस के जवाब का अध्ययन कर मनन किया। अपीलार्थी व रेस्पोंडेण्टस वकील की बहस तर्कों पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत म्यूटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में पुश्तैनी भूमि मे तमाम वारीसान के नामान्तरकरण के अनुरूप स्थान से संबंधित है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर दिनांक 18.02.2020 को हुई। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अनपढ़ महिला है। व ग्राम पंचायत चारवाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 163 स्वीकृत करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपील पेश करने में हुये विलम्ब को उक्त कारणों से क्षम्य कर अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्यायसंगत होने से विलम्ब को क्षम्य कर अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील[illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर न[illegible] हो। निर्णय इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला-जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:42 IST
Reason: SelfAttested